RAJYA SABHA

Friday, the 3rd August, 2001/12 Sravana, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*181. [*The questioner (Shri Karnendu Bhattacharjee) was absent. For answer vide page 21 infra.]*

National Commission for Children

*182. DR. KARAN SINGH:†
SHRI C. M. IBRAHIM:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be ased to state:

whether Government have decided to lay down a Charter for n and have recognized the need for setting up a National ission for Children; and

(b) if so, the details of the Charter contemplated and the steps taken to set up the Commission for Children?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The Department of Women & Child Development has prepared a draft National Policy and Charter for Children as well as a draft Bill for setting up a National Commission for Children. These

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Karan Singh.

have been circulated to all the State Governments and concerned Ministries/Departments of Government of India. These have also been posted on the web-site of the Department for eliciting views of the public.

The salient features of the proposed National Policy and Charter for Children are:

(i) Highlighting the family and social values.

(ii) Incorporating duties of children towards family and society.

(iii) Emphasis on the role of the Community.

(iv) Inclusion of all elements and objectives of our existing and intended policies and programmes for children being implemented by several Ministries and Departments of the Central and State Governments and Voluntary Organisations.

(v) Protection of Rights of Children which includes following:—

(a) Right to Survival, Health, Nutrition and Standard of Living.

(b) Right to Leisure, Early Childhood Care and Education.

(c) Right to Protection and Against Economic Exploitation.

(d) Right to Protection of Girl Child.

(e) Right to Equality, Life and Liberty and Identity.

(f) Right to Freedom of Expression, to see and receive information.

(g) Right to Freedom of Association and Peaceful Assembly.

(h) Right to a Family.

(i) Rights of Refugee Children, Children with Disabilities and Children from Marginalised & Disadvantaged Communities.

(j) Rights of Child Victims.

(k) Right to Child Friendly Procedure.

The National Commission for Children is modelled on the lines of the National Human Rights Commission.

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, children are our national treasure and the hope for the future. And a nation that neglects the children, cannot really claim to be great. Unfortunately, even half-a-century after Independence, we find that our children are still in a pitiable condition. We have not been able to fulfil the constitutional directive of giving free and compulsory education to children up to the age of 14 years. The Integrated Child Development Service (ICDS), which was started when I was the Health Minister 25 years ago, has failed. The CAG report shows that it has failed to achieve its objectives; and child labour is rampant, along with exploitation.

Sir, it is all right for the Minister to say that he has circulated a draft on the National Policy and Charter for Children. I would like to know from the Minister, apart from the Commission, what steps the Government is taking to ensure that the condition of our children is improved. How can we continue to have a situation where millions of children go to bed even without one square meal a day; millions are deprived of educational facilities; and then we speak of our great civilisation! There is a *sloka* in our culture "पिता शत्रु माता बैरी, येन बालो न पाठिता।" Where the children are not educated, the father is like an enemy, the mother is also like an enemy. Should we say today that "समाज बैरी सरकार शत्रु, येन बालो न पाठिता।"

डा० मुरली मनोहर जोशी: आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार उन सारे विचारों पर ध्यान दे रही है। यह प्रश्न मूल रूप से बाल अधिकारों के संबंध में आयोग से था, लेकिन आपने एक व्यापक सवाल खड़ा किया है, मैं समझता हूं कि उसके लिए तो एक अलग से प्रश्न की आवश्यकता है या अलग से बहस की आवश्यकता है। क्योंकि इसी सदन में मैंने यह आश्वासन दिया था कि जहां तक बच्चों के अधिकारों का प्रश्न है और जहां तक उसमें भारत ने जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को सहमत किया है, उसके आधार पर हम एक बाल आयोग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बालकों के अधिकारों के बारे में एक चॉर्टर भी बना रहे हैं। दोनों तैयार हैं और उसके संबंध में विस्ताएपूर्वक हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि इन सब समस्याओं का ध्यान, जो हमारे मंत्रालय से संबंधित हैं, वह तो हमने उसमें रखा ही है, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें अन्य मंत्रालयों से भी हमें परामर्श करना पड़ता है। जैसे बाल श्रम का सवाल है। बाल श्रम को मुख्य रूप से श्रम मंत्रालय देखता है। हमें उनसे भी इस संबंध में चर्चा करनी पड़ती है। बालकों के स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा करनी पड़ती है। इसी तरह से जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनको विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है जिनके लिए सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय है उससे हमको परामर्श करना पड़ता है। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी परामर्श करना पड़ता है क्योंकि इनमें अधिकांश ऐसे काम हैं जो कि राज्य सरकारों पर निर्भर करते हैं। इस दृष्टि से हमने इसमें बड़ी व्यापक चर्चा की है और इन सब लोगों से बराबर परामर्श किया है सामाजिक विज्ञान के जो लोग हैं उनसे भी हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। बाल अधिकारों का जो चॉर्टर है वह भी तैयार कर लिया गया है और उसके लिए जो आयोग बना रहे हैं उसका बिल भी तैयार कर लिया गया है। जैसे ही उस

पर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है वैसे ही हम उसे सदन के सामने लायेंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक भी हमारे मंत्रालय का सवाल है हम जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं और सरकार भी इसके लिए चिंतित है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय एजेंडा में इस बात का उल्लेख है कि हम बच्चों के लिए पूरा ध्यान देंगे। मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी देश में अगर बच्चा अनपढ़, भूखा या बीमार रहे तो वह देश आगे तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि पिछले 50 सालों में यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम ध्यान दिया गया है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इस तरफ बहुत कम ध्यान था। पिछले 8—10 सालों में इस तरफ ध्यान दिया गया है और उस में कुछ-न-कुछ तरक्की हुई है। हम ने उस का स्तर बढ़ाया है। मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं वह इंडीकेटर्स बता सकता हूं जिन में हम ने पिछले कुछ वर्षों में तरक्की की है कि किस प्रकार से हम इन तमाम चीजों को बराबर देख रहे हैं और वह इंडीकेटर्स जिन के बारे में हम ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस संबंध में मैं आप को बता सकता हूं कि जो पांच वर्ष से कम की मॉर्टेलिटी थी, उस की दर पहले 109.3 प्रति हजार जन्म होती थी, वह अब घटकर 94.9 आ गयी है। इसी तरह से बच्चे पैदा हुए और एक साल के अंदर ही मर गए, उन की दर 80 प्रति हजार से घटकर 70 प्रति हजार आ गयी है। इसी तरह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो कक्षा 2 या 3 तक भी नहीं पहुंच पाते थे उन की संख्या 93.4 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत पर आ गयी है। मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में इलिटरेट का एब्सोल्यूट नंबर परसेंटेज पॉइंट में नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पॉइंट में घटा है। इसी तरह से जो बच्चे 5 वर्ष से कम के थे, बिलो माइनस थ्री स्टेंडर्ड तो उन का जो डिविएशन फ्राम मीडियन हाइट फॉर एन०सी०एच०एस० एंड डब्ल्यू०एच०ओ० रेफरेंस पॉपुलेशन है, वह घटकर 52 परसेंट से 45.5 पर आ गया है। इस के अलावा proportion of under 5 who fall in the (−) 2 and (−) 3 standards, deviation from median rate है, उनका पॉपुलेशन परसेंटेज भी 17.5 से घटकर 15.5 आ गया है। मान्यवर, ये दरें हैं घटने की और हमें इन्हें तेजी से बढ़ाना है। हमारी कोशिश है कि हम इस को बढ़ाएं। मान्यवर, हम ने इन सारे वर्ल्ड इंडीकेटर्स का अध्ययन किया है और आप को जानकर खुशी होगी कि बच्चों के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इंडीकेटर 68.2 परसेंटेज से बढ़कर 77.9 परसेंट हुआ है। इसी तरह से वह पॉपुलेशन जिन के डवेलिंग कम्पाउंड में टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए थी, वह थोड़ी सी बढ़ी है और 30 परसेंट से 36 परसेंट हो गई है। इसी तरह से जो बच्चे ग्रेड 5 तक पहुंच रहे थे, उन की संख्या 67.6 परसेंट हो गयी है और टोटल बच्चों की संख्या में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हुई। वह अब 66.4 परसेंट के करीब हो चुकी है। मान्यवर, हम इन आंकड़ों के बारे में अभी निरीक्षण कर रहे हैं। मैं पूरे इंडीकेटर्स आप को बता सकता हूं जिस से आप देखेंगे की अंडर 5 की मॉर्टेलिटी लगभग 122.4 से घटकर ...(**व्यवधान**)... जो आप ने प्रश्न उठाए हैं ...(**व्यवधान**)... कृपा कर के मेरी बात सुनें। आप को यह जानकर खुशी होनी चाहिए। शायद आप को लग रहा है कि इस प्रकार से काम क्यों हो रहा है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: That is all right. The normal practice is, if the answer is lengthy, it is laid on the Table of the House. You could have done it. We appreciate that you are giving a detailed information but you could have laid it on the Table of the House.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Mr. Mukherjee, that was a debate raised by Dr. Karan Singh. Had his supplementary been confined to only *Bal Ayog*, it would have been a different answer. But he has raised a wider debate and I agree and I am prepared for a wider debate.

MR. CHAIRMAN: We have taken ten minutes now.

DR. KARAN SINGH: Sir, I took just two minutes. I didn't take ten minutes, Sir. The hon. Minister was kind enough to give a lot of information.

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप के सवाल ही ऐसे होते है कि दो मिनिट के सवाल का उत्तर 10 पेज में देना पड़ता है क्योंकि आप अनुभवी हैं।

DR. KARAN SINGH: I would like to say that apart from the statistics, which certainly are interesting and we could debate it some time later, what is really required is a national commitment for the welfare of the children; that is, not only involve the Ministries in the Government of India, but also, as you said, right down to the Panchayati-level, because, it is the rural children who are really suffering the most. I want to ask one specific question: What are we doing for the welfare of the street children? You go to any big metropolitan city. You find children having to beg. They are exploited, they are abused, and they are even forced into prostitution. It is a wretched existence these children have. Whenever we pass through a five star hotel and beautiful roads, we see, on the side, some children sitting there and begging. It totally negates all the progress that we have made. Are you doing something to help these street children in any way and get them off the road and get them into some kind of an institution?

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, सड़कों पर इधर-उधर फिरने वाले बच्चों के प्रति माननीय सदस्य ने जो संवेदना प्रकट की है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। सरकार इस संबंध में काफी संवेदनशील है। यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऐंड ऐमपावरमेंट की ओर से चलाया जाता है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम शामिल है—(1) City level

surveys to determine the number of destitute and neglected children (2) Documentation of the existing facilities to meet the developmental needs of these children (3) Programmes offering counselling, guidance and referral services to destitute and neglected children (4) Establishment of shelters for children for night stay, safe drinking water, bathing, latrine, first-aid and recreation (5) Non-formal educational programme (6) Programmes for re-integration of children with their families and placing destitute children in foster homes, hostels, residential schools and maintenance thereof (7) Programmes for enrobment of these children in schools (8) Programmes providing facilities for training in meaningful vocations, trades and skills enhancing the earning capacity (9) Programmes for occupational placing of destitute and neglected children (10) Programmes aimed at mobilising preventive health services, providing access to treatment facilities (11) Capacity building of NGOs, local bodies, State Governments to undertake the related responsibilities.

Sir, the number of children covered under these programmes during the last four years is 96,000.

श्री सी॰एम॰ इब्राहीम: सभापति महोदय, यह विषय एक मिनिस्ट्री के अधीन नहीं है बल्कि 4-5 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई मॉनिटरिंग सैल है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह कमीशन क्या सिर्फ सुपरवाईजरी कमीशन है या इसे कुछ पैसा खर्च करने का अधिकार भी है? इसका टोटल बजट क्या है? चूंकि हिंदुस्तान में हर मिनट में 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब इस question-answer के दौरान ही कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे। तो क्या प्लानिंग कमीशन ने इनके बजट में कुछ स्पैसिफिक राशि रखी है? अगर रखी है तो कितनी राशि रखी है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि सभी को राइट ऑफ सरवाइवल और दूसरे राइट्स प्राप्त हैं, तो क्या आप राइट ऑफ लर्निंग को भी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान एक artisan मुल्क है। हमारे यहां बच्चा जो कुछ बचपन में सीखता है, वह बड़े होकर उसी पर निर्भर करता है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप न होने देने के लिए चाइल्ड-लेबर का हल्ला मचाकर इस देश में कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। अब 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा artisan काम में माहिर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे बच्चों के लिए सीखने का राइट भी इसमें शामिल करेंगे? पढ़ाई का अधिकार उनको है लेकिन क्या इस प्रकार का काम सीखने का राइट भी आप इसमें शामिल करेंगे? आपके उत्तर के बाद में फिर दो प्रश्न और पूछूंगा।

श्री सभापतिः वह नहीं पूछ सकते। You can put only one question ...(*Interruptions*)... There are 50 Members who want to put questions ...(*Interruptions*)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, जहां तक कमीशन का सवाल है, कमीशन के लिए 32 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यह जो चार्टर है, उसके अंदर बच्चों की देखरेख या बच्चों के रख-रखाव का प्रावधान नहीं है। वह तो इसीलिए बनाया गया है ताकि वह यह देखे कि जो प्रावधान सरकार ने उनके लिए बनाए हैं, वे ठीक से पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यह आयोग यह देखेगा कि वे तमाम कार्यक्रम जो मैंने अभी गिनाए हैं या और जो प्रोग्राम हमने इसमें शामिल किए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार करती है और कुछ काम ऐसे हैं जिनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है और इसके लिए बहुत सा सामान उनके बजट से भी आता है।

महोदय, जहां तक पूरी शिक्षा के बजट का सवाल है या पूरे बच्चों के लिए बजट का सवाल है, यह तो हम हर साल बताते रहते हैं कि हमने कितने हजार करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं और प्राथमिक शिक्षा के लिए या मिड-डे मील्स के लिए या अपंग बच्चों की शिक्षा के लिए जो बजट है, वह सारा उन्हीं के लिए है। इसके अलावा इम्युनिटी प्रोग्राम के लिए स्वास्थ्य विभाग काम करता है, वह बजट वहां से आता है। कुल मिलाकर अगर आप पूरी राशि जानना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस दे दीजिए, मैं आपको जानकारी करके दे दूंगा। लेकिन हर विभाग में इसके लिए कार्यक्रम है। बुनियादी बात यह है कि देश अपने बच्चों के लिए जब से जागरूक हुआ है तबसे इसमें धीरे-धीरे वृद्धि की गई है। हमारी चिंता यह है कि किसी तरह से हम शिक्षा फैलाएं। तो सर्व शिक्षा अभियान का हमने नया कार्यक्रम लिया है जिसमें यह संकल्प किया है कि हम आने वाले तीन साल में 6 से 14 वर्ष की आयु के हरएक बच्चे को शिक्षा से किसी न किसी रूप में संबंधित कर दें और उसमें उन तमाम पिछड़े क्षेत्रों को तो हमने चिन्हित कर लिया है, उन ब्लॉक्स को चिन्हित कर लिया है जहां इस कार्यक्रम को सघन रूप से हम चलाएंगे। 2010 तक हमारी चेष्टा है कि सभी बच्चे एलीमेंट्री शिक्षा से शिक्षित हो जाएं और इसके लिए हम सघन प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी चेष्टा यह भी है कि बच्चों को मिड-डे मील मिले। इसके लिए आपको जानकार प्रसन्नता होगी कि कुछ राज्यों में पका पकाया भोजन दिया जा रहा है, कुछ राज्यों में केवल अनाज बांटा जा रहा है, कुछ राज्यों के लोग जो हम अनाज देना चाहते हैं उसको वह उठाते नहीं हैं। केन्द्र सरकार यह काम नहीं कर सकती कि इस तरह के 9 लाख प्राथमिक स्कूलों में पका पकाया भोजन हम यहां से संचालित करें। हम इसके विरुद्ध हैं। यह काम राज्य सरकारों को और वहां के संगठनों

को करना होगा। मुझे खुशी है कि कुछ संगठन इस मामले में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे अभी एक उद्योगपति ने अपनी एन्युअल जनरल मीटिंग में यह बयान दिया कि वह 10 लाख बच्चों के लिए प्रयत्न करेंगे। अगर वे शिक्षा से कहीं पर भी महरूम हैं तो उनकी वह सहायता करेंगे। इस्कान मंदिर जो बंगलौर में है, उसने संकल्प किया है कि वह 50 हजार बच्चों को पका पकाया भोजन ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे। हम हर एक को एप्रोच कर रहे हैं कि वह आएं और बच्चों के मामले में मदद करें। मैं चाहूंगा कि सम्मानित संसद सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने-अपने राज्यों में इस तरफ कुछ धन दे सकेंगे, वह भोजन पकाने के लिए बर्तन दे सकेंगे या और किसी तरह की सुविधा प्रदान कर सकेंगे तो वह हमारे इस कार्यक्रम को लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि यह हमारी चिंता है कि अगर बच्चों को पोषण आहार ठीक से नहीं मिलेगा तो फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तथा समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकेंगे। इस तरफ हमारी बहुत चिंता है, बराबर हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन से भी हमने कहा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में आप इस कार्यक्रम की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। चिकित्सा विभाग से भी हम यह कह रहे हैं कि आप इम्युनिटी के कार्यक्रमों के लिए आज ज्यादा आगे आइए। यह हमारी प्राथमिक चिंता है। जहां तक बच्चों के कुछ सीखने का सवाल है उसके लिए हमने चन्द शिक्षण संस्थान बनाए हैं। जहां अगर कोई बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़ गया है और वह आगे चलकर सीखना चाहता है, कोई ट्रेड सीखना चाहता है तो उसको भी हम सुविधा दे रहे हैं। कम्युनिटी पौलिटेक्नीक बनाने की हमारे एक योजना है जिसमें गांव में ही बच्चों को यह कार्यक्रम सीखने के लिए मिले। अभी हमने अपने मंत्रालय में यह चर्चा की है और उनको सुझाव दिया है कि हमारी कुछ संस्थाएं हैं—एजुकेशन कंसलटेंसी आफ इंडिया लिमिटेड जैसी, वह इस बात की हमें जानकारी कराए, मैन पॉवर इंस्टीट्यूट वगैरह के साथ मिल करके कि किन-किन ट्रेड की आवश्यकता है भारत में या भारत के बाहर ताकि हम उनको सिखाने के लिए और उनके कोर्सेज चलाने की भी व्यवस्था कर सकें। साथ ही साथ एजुकेशन के बारे में जो स्कीम पिछली पंचवर्षीय योजना में समाप्त कर दी गई थी उसको भी हमने रिवाइव किया है ताकि बच्चे इस प्रकार सीख सकें और काम में आने लायक उत्पादन श्रम में लग सकें।

श्री सी०एम० इब्राहीम: यह ड्राफ्ट पॉलिसी कब तक बन जाएगी?

डा० मुरली मनोहर जोशी: हमारी पॉलिसी तैयार है और वह केबिनेट के सामने मंजूरी के लिए गई हुई है।

श्रीमती गुरचरण कौर: सभापति महोदय, आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। इसके लिए तो मैं धन्यवाद करती हूं कि सरकार बाल आयोग का गठन कर रही है, बच्चों के विषय में सोच रही है। लेकिन मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो लोग पानी की बिसलरी

बोतल पीकर फैंकते हैं, चाय, काफी वगैरह लेकर फैंकते हैं तो और छोटे-छोटे बच्चे रेलवे लाइनों पर उनको जल्दी-जल्दी चुगते हैं, उठा लेते हैं भुखमरी के कारण तो इससे कई बार उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। हमें इससे कितना दुख होता है, कितनी वेदना होती है उन बच्चों को देखकर। क्या सरकार ने उनके विषय में आज तक सोचा है या आगे सोच रही है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, यह एक व्यापक प्रश्न है जो देश की गरीबी से जुड़ा हुआ है और सरकार उस गरीबी को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है। आपको यह जानकार खुशी होनी चाहिए कि इस बार गरीबी की एबसेल्युट संख्या में काफी कमी आई है। अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आने वाले वर्षों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल होंगे और तभी हम इस चिन्ता से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी इस देश में ऐसी हालत है कि अनेक स्थानों पर, रेलवे प्लेट-फार्म पर, सड़कों पर, चौराहों पर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपनी गरीबी के कारण या सामाजिक शोषण के कारण इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, राज्य सभा के कम से कम पांच सत्रों से लगातार माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे रहे हैं कि इस बाल आयोग का गठन शीघ्र ही हम करने जा रहे हैं। इसके बारे में कई बैठकें भी हो चुकी हैं, कंसल्टेटिव कमेटी की भी बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी पता नहीं इस पर अभी तक कोई एक्सरसाइज हो रही है या नहीं और कितने दिन इसमें और लगेंगे? पहले तो माननीय मंत्री जी यह बतायें कि जब कई सालों से इस पर एक्सरसाइज हो रही है तो अभी तक विभिन्न विभागों से या विभिन्न राज्य सरकारों से माननीय मंत्री जी राय-मशविरा नहीं कर पाये हैं, इसका क्या कारण है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक बाल आयोग के गठन का सवाल है जो उसका सैद्धान्तिक पहलू है उसमें तो किसी भी विभाग या किसी भी राज्य सरकार का मतभेद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं? पिछले अनेक सालों से आप इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या आप आश्वासन दे सकते है कि कब तक बाल आयोग का गठन कर दिया जायेगा?

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं। यह काम सरल नहीं है। हमें सभी राज्य सरकारों से राय लेनी पड़ती है क्योंकि सभी राज्यों को भी बाल आयोग बनाने हैं और उसमें उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज, उसको क्या अधिकार दिया जाए, उसका किस रूप में गठन किया जाए, इसमें व्यापक सहमति की जरूरत होती है। वह काम पूरा होने के बाद ही बाल आयोग के संबंध में हमने कानून बनाने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ लॉ, बंगलौर को यह काम सौंपा था और वहां से कानून बनकर आया।

फिर ये हमारे विधि विभाग में गया और उसके बाद अब वह सभी मंत्रालयों में परिचालित है क्योंकि जैसा आपने अभी सुना कि यह विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित काम है, इसलिए उन सब की राय जानने के लिए और उसको अंतिम रूप देने के लिए हमने 14 अगस्त की तारीख निश्चित की है तब तक और भी रायें आ जायेंगी और हम उन सबको लेकर के चार्टर और बाल आयोग दोनों को कैबिनेट के सामने रख देंगे। हमारी तैयारी पूरी है लेकिन इस मामले में मैं यह नहीं चाहता कि एक बार अगर बाल आयोग या चार्टर बन जाए, उसके बाद फिर से नये सिरे से बहस शुरू हो। हमने इसको वेब साइट पर भी डाला है, आप इसको देख लें और इस पर अपनी राय दें। इसके बारे में आब एक्सरसाइज समाज विज्ञान के उन लोगों के साथ चल रही है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बाल और परिवार, समाज इन सभी पर ध्यान देते रहे हैं, उनकी राय भी हम ले रहे हैं। हमने यूनीसेफ से भी राय ली है, इसको अच्छी तरह से ठोक-बजाकर इस रूप में पेश करने का इरादा है जिससे कि इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। इसलिए हम यह चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, जैसे ही कैबिनेट इसको मंजूरी दे देगी, हम इसको लेकर आपके सामने आ जायेंगे।

DR. RAJA RAMANNA: Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this matter. I would like to remind the hon. Minister, the way in which they used to deal with the children, the orphans, during the British days, especially by the Christian missionaries who are to a great extent responsible for the high rate of literacy in Kerala and other parts of South India. In fact, in the city of Bangalore, which had a very large number of orphans, mostly Anglo-Indians, they used to pick them up and put them into elite schools and pay for them, of course, by some procedure. But the thing is that they were brought up to a level from where they would never go back to the situation they were in. Sir, I know that nearly 50 per cent of the children in these classes were orphans, the rest were very rich people. But they used to put them in the schools and provide a practical solution, not simply setting up Commissions and things like that. They all secured highly paid jobs because they were taught in good schools. Now, the Government has Navodaya Vidyalayas and various such schools around. These children should be taken from the streets and put in these schools, however far-off they are, for a short period. Then, they can go back to their parents or to the slums, wherever they belong to. This can be done directly by the schools which have already been created, only the hostel

problem has to be solved. These schools should not be simply for the local area people, but should provide solution, for really solving the problems of the children who are on the streets. Would the hon. Minister accept this suggestion?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: नवोदय विद्यालयों की जो स्कीम्स हैं, उनमें पिछड़े क्षेत्र के और इस प्रकार के बच्चों के लिए खुली परीक्षा में बैठकर आने की व्यवस्था है और हम लोग यह चाहेंगे कि जिन घरों में—क्योंकि यह ऐसे बच्चों की देख-रेख और रख-रखाव की दृष्टि से समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, यह उसका अंग है, उनके यहां से जो बच्चे आएंगे, उन बच्चों को नवोदय स्कूलों में ऐडमिशन देने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ऐसे बच्चे जिनकी वहां से सिफारिश की जाएगी, उन बच्चों का खर्चा हमारा मंत्रालय एक सीमा तक, जो हम निश्चित करेंगे, उठाने के लिए भी तैयार होगा अगर उसका बुनियादी कार्यक्रम वहां से शुरू होगा। मैं आपकी भावनाओं से उस मंत्रालय को अवगत करा दूंगा।

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, reports have been submitted to the Government by the Standing Committee on Human Resource Development. We have observed that at the Budget stage, huge amounts are being provided to most of the schemes. At a later stage, a drastic cut is imposed on these schemes, barring a few schemes. At the end of the year, even the reduced amount is also not being utilised. In the name of the Sarva Shiksha Abhiyaan, all the schemes are being stalled. That is one thing. This has been our observation during the Ninth Plan. Another thing on which I would like to solicit information from the hon. Minister is about the Mid-day Meal Scheme. These children are not getting nutritious food. The scheme was envisaged to provide cooked food to these children. Now, an option has been given by the Human Resource Development Ministry to the schools to provide foodgrains. If foodgrains are provided to these children, then, I am afraid, it is not going to benefit them. These foodgrains would be sold outside. That is why the Committee has made a clear observation either they should continue with the Mid-Day Meal Scheme, to provide food in a cooked form, or, discontinue the scheme, because other things are totally wasted. I would like the Minister to react on this.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, जहां तक सर्व शिक्षा अभियान के कारण से अन्य स्कीम्स को समाप्त करने का सवाल है, यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विभिन्न योजनाओं को हम

एकीकृत कर रहे हैं—अंडर वन अम्ब्रेला—यानी होता क्या है कि थोड़ा-थोड़ा धन अनेक तरफ जाता है और उसकी ठीक ढंग से मॉनिटरिंग करना भी संभव नहीं होता। हमने देखा है कि एक जिले में जहां हमारी स्कीम्स जाती हैं, वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को या वहां के जिला अधिकारी को भी यह पता नहीं चलता कि कितनी स्कीम्स चल रही हैं। विभिन्न मंत्रालयों की स्कीम्स होती हैं। तो प्लानिंग कमीशन के ये निर्देश आए कि योजनाएं इस ढंग से चलाई जाएं कि जिस लैवल पर उनका कार्यान्वयन होना है, ऐक्जीक्यूट होना है, वहां वे ठीक ढंग से हो सके और हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ स्कीम्स जो समानान्तर थीं, उनको मिलाकर हमने एक किया है। सारी स्कीम्स बंद नहीं की हैं और न बंद करेंगे लेकिन उन स्कीम्स को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए, उन पर नियंत्रण ठीक हो सके, उनके खर्चे का हिसाब ठीक हो सके, हमने यह प्रयत्न किया है कि कनवर्जन कर दिया जाए। इस कनवर्जन के कारण कुछ स्कीम्स दूसरी स्कीमों के साथ मिलकर बन रही हैं लेकिन हमने उसका ऐसा रूप कर दिया है कि उसके संचालन में सुविधा हो सके और खर्चे का कुछ अपव्यय न हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि शुरू में हम पैसा एलॉट करते हैं और बाद में आप कहते हैं कि कट हो जाता है, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम तो पैसा देते हैं, एक किश्त देने के बाद जब तक उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आता हम दूसरी किश्त रिलीज नहीं कर सकते। यदि रिलीज करें तो वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होगा। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि इन स्कीमों को ठीक ढंग से संचालित करें। कुछ राज्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं और कुछ राज्य नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से यह कठिनाई आती है। हम बराबर कोशिश करके उन राज्यों से भी बात कर रहे हैं और हमने यह व्यवस्था की है कि हर स्कीम की देखरेख और उसके संचालन के लिए अपने विभाग के लोगों को, आफिसर्स को वहां भेज रहे हैं। उनके लिए क्षेत्र नियुक्त कर दिए गए हैं कि आप इन क्षेत्रों में जाकर देखें कि पूरे तौर पर क्या स्थिति है, कहां बोटलनेक्स हैं और उनको वहीं दूर करने की बात करें। इसके लिए बैठकें हो रही हैं और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं। जहां तक कुक्ड मील का सवाल है, मैंने पहले भी बताया है कि काम मिलकर होगा। राज्य सरकारों और ग्राम पंचायतों का यह दायित्व होगा वह पका-पकाया खाना दें। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अनाज हम दें और कुछ थोड़ी सी और व्यवस्था भी हम करें लेकिन खाना पकाने का काम तो समुदाय और राज्य सरकारें मिलकर करें। अगर यह काम ठीक ढंग से राज्य सरकार पंचायतों के सुपुर्द कर सकें और वह पके हुए भोजन का इंतजाम कर सके तो इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूं। मैंने हर उद्योग से अपील की है कि वह यह काम कर सकता है तो इस काम में हमारी मदद करे। इस मामले में हम हर धार्मिक संस्था से अपील कर रहे हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और स्कूल्स एडोप्ट कीजिए। 9 लाख बच्चों को पका हुआ खाना

देने का एक बड़ा भारी काम है। इस तरफ हम पूरे तौर पर सचेष्ट हैं। अगर आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं कि हम इसको क्रियान्वित करें तो हम पूरे तौर पर मानने के लिए तैयार हैं और हम पूरा अनुपालन करेंगे। केवल आलोचना न करें कि यह नहीं हो रहा है। हम भी जानते हैं क्योंकि सी॰ एंड ए॰जी॰ की रिपोर्ट आती है और हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी आती है। लेकिन इसको कैसे सुधारें, इसमें जो भी सम्मानित सदस्य हमें सुझाव देंगे, हम क्रियान्वित करेंगे। मैं सबसे यह आग्रह करूंगा कि वे अपने राज्यों के मंत्रियों से विशेषरूप से अनुरोध करेंगे कि इस तरफ ध्यान दें। क्योंकि मैं मानता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना कोई राष्ट्र आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये बुनियादी चीजें हैं और इसमें जो भी सुझाव आएंगे, मैं उनको सहर्ष स्वीकार करूंगा।

SHRI P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, in Tamil Nadu, the Nutritious Noon Meal Scheme is being implemented effectively for educating children. I want to know whether there is any proposal in the Government of India to implement the same type of Nutritious Meal Scheme throughout the country. Can the Government of Indian give financial assistance to Tamil Nadu, to encourage the State which is implementing successfully the Nutritious Meal Scheme for educating children?

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, वित्तीय सहायता का ऐसा सूत्र है जिसके अनुसार हम जितना तमिलनाडु को दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं। लेकिन कुछ सरकारें हैं जिनमें तमिलनाडु प्रमुख हैं, इन कार्यक्रमों को बहुत अच्छी तरह से चलाया है और मैं उसको बधाई भी दे चुका हूं। अन्य राज्यों से मैं यह भी कहता रहा हूं कि जो प्रयत्न तमिलनाडु ने किए हैं, आप उसका अनुकरण करें। गुजरात में भी ऐसे ही प्रयत्न हो रहे हैं और अन्य राज्यों में भी आंशिक तौर पर ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जिन क्षेत्रों में हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर कम से कम हम पहले आहार तो पहुंचाएं! अगर हम पोषक आहार पका हुआ भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम फोर्टिफाइड फूड बॉयो टैक्नोलोजी द्वारा तैयार किए हुआ पैकेट, 6-8 महीने तक खराब नहीं होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, दिया जाए। हमने उत्तरांचल के जिलों में इसका पॉयलट प्रोजेक्ट चलाया था कि सुदूर के गांवों में हम इसको कैसे दे सकते हैं। वहां से रिपोर्ट आई है कि कार्यक्रम सफल हैं। बच्चे इसको पसंद करते हैं और आगे भी हम और ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाएंगे और उद्योगपतियों से हमारा अनुरोध होगा कि ऐसे आहार की टैक्नोलोजी हमें दे दें। इसे अच्छी तरह से बनाएं। अगर फोर्टिफाइड फूड का पैकेट डेढ़ या दो ढाई रुपये का वे बनाएंगे तो उसे हम बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां तैयार खाना नहीं होगा वहां हम यह खाना पहुंचाएंगे। जैसे नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्र हैं, जम्मू-कश्मीर, रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, जहां पका-पकाया खाना पहुंचाने में दिक्कत आती है

वहां किसी प्रकार से भी पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें अधिक से अधिक सहायता करें। बजाय इसके कि केंद्र से अधिक सहायता मांगे, कोशिश यह होनी चाहिए कि समुदाय इस बात की चिंता करें। कम से कम एक गांव तो अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था तो करे। इसकी तरफ चेष्टा करने की जरूरत है। जहां अभाव है वहां सरकारें जाएंगी और काम पूरा करेंगी।

श्री सभापतिः श्रीमती कुमकुम राय।

डा॰ कुमकुम रायः सभापति जी, बाल विकास कानून इस देश में है लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ जो होटल या चाय की दुकानें हैं या ढाबे हैं वहां आप रात-दिन, जब भी जाएं देख सकते हैं कि पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बच्चे रात-दिन वहां खटते हैं और तरह-तरह के अत्याचारों का सामना करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या इस कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता आप महसूस करते हैं या इस पर अमल करने के लिए कुछ और कठोरता दिखाने की आवश्यकता है?

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः जो बाल अधिकारों का आयोग बन रहा है वह इसी दृष्टि से बनाया जा रहा है कि कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हो सके। अगर कानूनों में कोई कमी है तो उसे दूर किया जा सकता है। इसमें किसी के भी दो मत नहीं हो सकते कि इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है और भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है।

MR. CHAIRMAN: I think, there are now 40 or 50 hon. Members who want to seek clarifications. ...*(Interruptions)*... Only six supplementaries have been put, and it has taken nearly 40 minutes. If you want, you can have a discussion on this later. Even if half-an-hour is allotted, the debate would continue. ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः आधे घंटे से ऊपर की चर्चा हो गई है। चालीस मिनट की चर्चा हो गई है ...**(व्यवधान)**...

श्री बालकवि बैरागीः बाल अधिकार आयोग में कृपा करके बालकवि और बालयोगी को भी रख लीजिएगा ...**(व्यवधान)**...

डा॰ मुरली मनोहर जोशीः बालकवि की कविताओं पर ध्यान दिया जाएगा...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरीः लगता है एक भी महिला को नहीं रखेंगे।

MR. CHAIRMAN: Next question.